

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

ब्यु रु १३२२०१८९९८०२४९२८

संख्या-697-कार्य-चौदह/पाकालि/2015-6के/2015/निदेशक(वितरण)

दिनांक: 30 /06/2015

1. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/केस्को।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
3. निदेशक (विद्युत सुरक्षा), उ०प्र० शासन, विद्युत सुरक्षा निदेशक, विभूति खण्ड-2, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, डिस्काम/मुख्य अभियन्ता, लेसा/मुख्य अभियन्ता, केसा।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल/विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, डिस्काम।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड/विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, डिस्काम।

विषय:- नये विद्युत संयोजन निर्गत करने एवं जमा योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों को त्वरित गति से सम्पादित करने के दृष्टिगत वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया का सरलीकरण।

प्रायः देखा गया है कि, नये विद्युत संयोजन निर्गत करने एवं जमा योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों को सम्पादित करने में आवश्यकता से अधिक समय लगता है। इस विलम्ब के कारण प्रायः उपभोक्तों का भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और कारपोरेशन की छवि भी खराब होती है। इस तथ्य के दृष्टिगत वर्तमान व्यवस्था में निम्नवत् प्रक्रिया के अनुसार संयोजन निर्गत करने के लिए निर्देशित किया जाता है:-

1. नये विद्युत संयोजनों के आवेदन हेतु सप्लाइ कोड -2005 के छठवें संशोधन के अनुसार मात्र निम्नांकित प्रपत्रों की आवश्यकता होगी :-
 - i) Work completion certificate and Test Report (B&L form) in respect of Factory/ Industry/ Premises/ Establishment/ House, where supply is desired, indicating tentative position of meter.
 - ii) Documentary evidence in support of lawful occupation of the premises. If such documentary evidence is not available then the applicant shall provide indemnity bond as specified by the licensee.
2. नये विद्युत संयोजनों का आवेदन सिंगल विंडो माध्यम से 'आन लाइन' (apps.upptcl.org/eobsns/newconnection/firmselectzone.aspx) पर स्वीकार किया जाएगा।
3. नये विद्युत संयोजन के आवेदन की तिथि से तीन कार्य दिवसों के अन्दर सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा परिसर का उपभोक्ता के साथ निरीक्षण किया जायेगा। अगले चार कार्य दिवसों में खण्ड कार्यालय द्वारा अपने स्तर पर प्राक्कलन/लाइन डायग्राम की तकनीकी स्वीकृति एवं अन्य समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर उपभोक्ता को नियम एवं शर्तें निर्गत कर दी जायेगी।
4. प्रोसेसिंग शुल्क, जमानत धनराशि एवं सिस्टम लोडिंग चार्जस के अतिरिक्त उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट(uppccl.org) पर उपलब्ध कास्ट डेटा बुक के आधार पर प्रॉकलन बनाकर सुपरविजन चार्जस हेतु उपभोक्ता को नियम व शर्तें प्रेषित किया जायेगा। प्रत्येक दशा में लाइन चॉर्ट नये संयोजन के आवश्यक विभव हेतु उपलब्ध निकटतम पोल से तथा स्वतंत्र 11के०वी०-पोषक की दशा में निकटतम 33/11के०वी० उपकेन्द्र से व स्वतंत्र 33के०वी० पोषक की आवश्यकता में निकटतम 220/132 के०वी० उपकेन्द्र से ही बनाया जायेगा।
5. आवेदक द्वारा जमा की गई धनराशि डीडी/आरटीजीएस के द्वारा डिस्काम को प्रेषित की जायेगी।
6. जमा योजना के अंतर्गत पैकेज बनाने की व्यवस्था जो सामान्यतया विभागीय कार्यों में धन एवं सामग्री की उपलब्धता हेतु लागू की गयी थी, को समाप्त किया जाता है।
7. विद्युत संयोजन स्वीकृत किये जाने के उपरान्त, संयोजन के निर्गत करने से पूर्व यदि किसी वितरण तन्त्र यथा लाइन एवं उपसंस्थान आदि के निर्माण की आवश्यकता होती है तो तत्सम्बन्धी निर्माण कार्य सम्बन्धित उपभोक्ता द्वारा स्वयं अपने व्यय पर कराया जायेगा।
8. यदि उपभोक्ता द्वारा जमा योजना के अन्तर्गत ही कार्य सम्पादन का विकल्प लिया जाता है तो ऐसी अवस्था में सम्बन्धित डिस्काम द्वारा आवश्यक निर्माण कार्य टर्न-की आधार पर इम्पेनेल्ड कार्यदायी संस्थाओं में से किसी भी संस्था द्वारा उपभोक्ता से विकल्प लेकर सम्पादित कराया जायेगा। इम्पेनेल्ड संस्थाओं के कार्य की वार्षिक दरें भी डिस्काम द्वारा वर्षवार तय कर दी जायेगी।
9. किसी संयोजन को अवमुक्त करने हेतु वितरण तंत्र के विस्तार एवं 220/132के०वी० उपसंस्थान पर आवश्यक 'बे' के निर्माण का व्यय उपभोक्ता द्वारा देय होगा तथा वितरण तंत्र के ट्रांसफार्मेशन में आवश्यक क्षमता वृद्धि का व्यय निगम द्वारा वहन किया जायेगा।
10. एच०टी०/ई०एच०टी० संयोजनों के निर्गमन से पूर्व उपभोक्ता द्वारा सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत विद्युत सुरक्षा प्रमाण-पत्र एच बी एण्ड एल फार्म कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
11. एल०टी० उपभोक्ताओं के प्रकरणों में विद्युत सुरक्षा हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के 07 दिनों के अन्दर सुरक्षा निदेशालय से कोई आपत्ति दर्ज न कराये जाने की स्थिति में बिना किसी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संयोजन अवमुक्त कर दिया जायेगा।
12. इलेक्ट्रीसिटी सप्लाइ कोड 2005 की धारा 4.9 (द) के अनुसार 33 के०वी० लाइनों पर 10 एमवीए तक भार निर्गत करने की व्यवस्था है। 33 के०वी पर 10 एम०वी०ए० से अधिक का भार प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात् निर्गत किया जायेगा।

[Handwritten Signature]

कमशः पृष्ठ-2 पर

